

बनवारीलाल बनाम गोवर्धन

मु0नं0 203/2021

दिनांक: 25.08.2023

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वास्ते आदेश विभाजन प्रस्ताव पेश हुई। तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.08.2022 को इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि ग्राम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी ख.नं. 573, 574, 575 कुल किता 3 कुल रकबा 1.14 हैक्टर एवं ख.नं. 1261, 1262, 1263 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 हैक्टर का पक्षकारान में आपसी सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत किये जावे। इसकी पालना में तहसीलदार महवा द्वारा दिनांक 31.03.2023 को विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय के समक्ष पेश किये।

वकील उभय पक्ष की वहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट कुर्रैजात एवं अन्य रिकार्ड का भी अवलोकन किया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक/रा.म./न्याय/स्था./प-51/2018/विधि/10546 दिनांक 05.10.2020 के मुताबिक भूमि विभाजन के प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी(राजस्व मण्डल)नियम-1955 के नियम-21 के अन्तर्गत तहसीलदार महवा द्वारा विवादित आराजी के मुताबिक प्राथमिक डिक्री अलग-अलग राज लगान कायम करते हुए पेश की है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः दावा वादीगण मुताबिक रिपोर्ट कुर्रैजात निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है:-

1. मुरारीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार ख.नं. 573 किता 1 कुल रकबा 0.40 हैक्टर।
2. सत्येन्द्र पुत्र जानकी बल्लभ जाति ब्राह्मण नि. 76-ए चन्द्रकला कोलोनी टोंक रोड दुर्गापुरा जयपुर खातेदार-ख.नं. 574 रकबा 0.36 हैक्टर एवं 575 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.74 हैक्टर।
3. ऋशभ शर्मा, शिवम शर्मा पुत्र भगवान सहाय, कमलेश शर्मा पत्नि भगवान सहाय हि0 1/3, गोवर्धनलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/3, बनवारीलाल पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/3 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार:- ख.नं. 1261/0.01, 1262/0.64, 1263/0.75 कुल किता 3 कुल

उपरिष्ठ अधिकारी
महवा जिला दौसा